जीएसटी: भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्णायक मोड़?

रंजीत मेहता

एक समान भारतीय बाज़ार निर्मित करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों पर कर के व्यापक प्रभाव को कम करने के ज़रिए जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक सुधार होगा। यह कर-संरचना कर-समीक्षा, कर-परिकलन, कर-भुगतान, अनुपालन, क्रेडिट (साख) के उपयोग एवं विवरण को प्रभावित करेगी और वर्तमान अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली के सम्पूर्ण कायापलट की ओर अग्रसर होगा

सबसे पहले तो भारत सरकार को जीएसटी के मोर्चे पर किए गए जबरदस्त प्रयासों के लिए बधाई दी जानी चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक का पारित होना और साथ ही मॉडल/नमूना जीएसटी कानूनों का जारी होना, जीएसटी को जल्द-से-जल्द लागू करने के सरकार के दृढ़-निश्चय को दर्शाता है। मेक इन इंडिया परियोजना भारत सरकार की प्रबल नीति-पहलों में से एक है, जो भारत को एक विनिर्माण केन्द्र बनने रोज़गार/रोज़गार के अवसर उत्पन्न करेगी। भारत को एक विनिर्माण केन्द्र बनाने के क्रम में, यह आवश्यक है कि विदेशी निवेशकों/कम्पनियों को यहां व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल मिले। एक सुगम/निर्विघ्न व्यापार के रास्ते में, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में, अनिश्चित एवं अप्रत्याशित अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था, सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

वर्तमान बहु-स्तरीय कर-संरचना में राज्यों एवं केन्द्र सरकार के अलग-अलग शुल्क हैं, जो करों के व्यापाक प्रभाव की ओर ले जाते हैं। इसमें विभिन्न दरों एवं विभिन्न बिन्दुओं पर कर विद्यमान हैं। केन्द्र के पास आय कर, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क एवं सुरक्षा लेन-देन कर जैसे कर हैं जबकि राज्य-स्तर पर वैट या बिक्री कर, चुंगी, राज्य उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, प्रवेश कर एवं कृषि कर लागू हैं। ये कर घरेलू बाजारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी मूल्यों और बिक्री को प्रभावित करते हुआ भारतीय उत्पादों पर बढ़े हुए कर के बोझ की ओर ले जाते हैं।

इसके समाधान के लिए, संसद (राज्य सभा में 3 अगस्त, 2016 को तथा लोक सभा में 8 अगस्त, 2016 को) में पारित होने तथा 50 प्रतिशत से अधिक राज्य विधाल-मंडलों के अनुसमर्थन के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार केंद्र एवं राज्यों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करने तथा अप्रैल, 2017 तक जीएसटी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यापक रूप से भिन्न हितों वाले केन्द्र, 29 राज्यों एवं जटिल संघात्मक व्यवस्था में, विस्तृत राजनीतिक सहमति की अपेक्षा रखने वाले, लगभग 75 लाख कर इकाइयों को प्रभावित करने वाले तथा कर-कार्यान्वयन क्षमता के उपयोग एवं उसमें सुधार के लिए नवीनतम तकनीक का निर्धारण करने वाले एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हासिल करना, संभवत: आधुनिक वैश्विक कर-इतिहास में अभूतपूर्व है।

जीएसटी को इस बिन्दु तक ले आने में देश ने कितना कुछ हासिल किया है; इसकी सराहना करने में हम कभी-कभार कंजूसी कर जाते हैं। जीएसटी के लिए कार्य करने का श्रेय, केन्द्र एवं राज्यों के स्तर पर सभी हितधारकों को दिया जाना चाहिए। यह समय इस ऐतिहासिक अवसर को साथ मिलकर भुनाने के लिए एकदम अनुकूल है क्योंकि जीएसटी निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतरी के लिए बदलाव लाएगा।

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी

लेखक नयी दिल्ली स्थित पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक हैं। साथ ही भारत सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य भी हैं। छह पुस्तकें और दर्जनों शोध-पत्र लिख चुके हैं। पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन। ईमेल: ranjectmehta@gmail.com

अर्थव्यवस्था, भारत के लिए जीएसटी स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर-सुधार है। जीएसटी भारत के अप्रत्यक्ष करों, शुल्कों, अधिभारों एवं उपकरों के अव्यवस्थित आधिक्य को एक एकल कर के अंतर्गत ले आता है। बोझिल कर-प्रणाली को सुगम बनाने, सभी राज्य-सीमाओं पर निर्बाध रूप से वस्तुओं के आवागमन में सहायता देने, कर-अपवंचन पर नियंत्रण रखने, अनुपालन में सुधार करने, राजस्व बढ़ाने, वृद्धि को प्रेरित करने, निवेश को प्रोत्साहित करने, भारत में निवेश करने एवं व्यापार को आसान बनाने के लिए यह अपेक्षित है।

यह अनुमान है कि जीएसटी के साथ कर-आधार व्यापक होगा, इसलिए कि वस्तुतः सभी वस्तुएं एवं सेवाएं कुछ न्यूनतम छूटों के साथ कर योग्य होंगी। एक समान भारतीय बाज़ार निर्मित करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों पर कर के व्यापक प्रभाव को कम करने के ज़रिए जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक सुधार होगा। यह कर-संरचना कर-समीक्षा, कर-परिकलन, कर-भुगतान, अनुपालन, क्रेडिट (साख) के उपयोग एवं विवरण को प्रभावित करेगी और वर्तमान अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली के सम्पूर्ण कायापलट की ओर अग्रसर होगा।

जीएसटी का देश में व्यापार संचालन के लगभग सभी पक्षों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन, सूचना-प्रौद्योगिकी, लेखांकन तथा कर-अनुपालन प्रणालियों पर। यही कारण है कि जीएसटी विधेयक को स्वतंत्र भारत में अद्वितीय महत्व के एक सुधार-उपाय के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

वर्तमान में, हर राज्य में कर की दरें अलग-अलग हैं। जीएसटी इनमें एकरूपता लाएगा, कर-समंजन निवेश (इनपुट टैक्स क्रेडिट) द्वारा इन करों के व्यापक प्रभाव को कम करेगा। जीएसटी में न्यूनतम छूटों के साथ व्यापक कर-आधार उस उद्योग की सहायता करेगा, जो सामान्य प्रक्रियाओं का लाभ उठाने एवं भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट (साख) का दावा करने में समर्थ होंगी। उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कमी के लिए यह अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) को लगभग 2 प्रतिशत तक बढ़ा देगा।

जीएसटी के प्रमुख लाभ

- जीएसटी निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतरी के लिए अगले स्तर पर ले जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया, जीएसटी गरीबी उन्मूलन एवं देश के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों में बढ़ोतरी करेगा। ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से होगा क्योंकि कर-आधार अधिक विस्तृत हो जाएगा और केंद्र एवं राज्य सरकारों के समस्त संसाधनों में वृद्धि होगी। लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष रूप से भी घटित होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य-प्रदेश जैसे सर्वाधिक गरीब राज्यों के संसाधन जो सबसे बड़े उपभोक्ता होंगे, काफी हद तक बढ़ जाएंगें।
- भारतीय जीएसटी एक अधिक स्पष्ट दोहरा वैट सृजित करने में एक लंबी छलांग लगाएगा, जो आत्मनिर्भर एवं पूर्णरूप से केन्द्रीकृत प्रणालियों की हानियों को कम करेगा। एक समान आधार एवं समान दरें (वस्तुओं एवं सेवाओं पर) तथा मिलती-जुलती दरें (राज्यों में तथा केन्द्र एंवं राज्यों के मध्य) प्रशासन को सुगम बनाएंगी और अनुपालन में सुधार लाएंगी जबकि अंतरराज्यीय बिक्रियों पर करों के संग्रहण को भी प्रबंधनीय बनाएंगी। साथ ही, विशिष्ट वस्तुओं (केन्द्र के लिए पेट्रोलियम एवं तंबाकू तथा राज्यों के लिए पेट्रोलियम एवं शराब) पर अनुज्ञेय अतिरिक्त उत्पाद कर के रूप में अपवाद, राज्यों को अपेक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगें। वास्तव में, यदि ये जीएसटी के क्षेत्र के अधीन भी लाए जाते हैं, तो इन वस्तुओं पर ऊपरी कर लगाने के लिए समर्थ होने में राज्यों की स्वायत्ता बरकरार रहेगी।
- जीएसटी भारत को एक एकल कर प्लेटफॉर्म पर ले आने के द्वारा 'मेक इन इंडिया' को सहूलियत/सुविधा प्रदान करेगा। वर्तमान कर-संरचना राज्यों के साथ-साथ भारतीय बाज़ारों को तोड़ रही है। ये तोड़-मरोड़ वर्तमान प्रणाली के तीन लक्षणों के कारण हैं: वस्तुओं की अंतरराज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी); विभिन्न अंतरराज्यीय कर; एवं शुल्कों में छूट की व्यापक प्रकृति जो घरेलू उत्पादन के स्थान पर आयात को तरजीह देती है। एक ही झटके में, जीएसटी इन सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा: सीएसटी समाप्त कर दिया जाएगा; ज्यादातर अन्य कर जीएसटी में समाहित कर दिए जाएंगे और चूंकि जीएसटी आयातों पर लागू होगा, आयातों की तरफदारी करने वाला और घरेलू विनिर्माण के प्रति उदासीन नकारात्मक संरक्षण खत्म हो जाएगा।
- एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जीएसटी दो तरीकों से कर-शासन को बेहतर बनाएगा। पहला, योजित मूल्य कर में अंतर्निहित स्व-नियंत्रित प्रोत्साहन (इनसेनटिव) से संबंधित है। इनपुट कर-समंजन (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की मांग करने के लिए प्रत्येक विक्रेता के पास योजित मूल्य-कर श्रृंखला में अपने पीछे के विक्रेता से दस्तावेजीकरण करने का अनुरोध करने के लिए एक प्रोत्साहन है। बशर्ते यह श्रृंखला व्यापक छूटों द्वारा टूटी न हो; विशेष तौर से मध्यवर्ती वस्तुओं पर, जीएसटी में यह स्व-नियंत्रण सुविधा बेहद शक्तिशाली ढंग से कार्य कर सकती है। दूसरे का संबंध जीएसटी की दोहरी निगरानी- संरचना से है- एक राज्यों द्वारा तथा दूसरी केन्द्र द्वारा। आलोचकों और करदाताओं ने इस दोहरी संरचना को लेकर चिंता प्रकट की है और इसे कर-विभाग से सामना के दो चरण, उत्पीड़न के दो संभावित कारण होने की आये का जतायी जा रही है। लेकिन इस दोहरी निगरानी को राज्यों एवं केन्द्रीय प्राधिकारियों के मध्य वांछित कर प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग के सञ्जक के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि कर-प्राधिकारियों का एक समूह अपवंचन की अनदेखी करता है तथा / या उसका पता लगाने में असफल भी होता है, तो संभावना है कि निगरानी रखपने वाला अन्य प्राधिकरण ऐसा न करें।

- जीएसटी ने विभिन्न करों और इसके व्यापक प्रभाव, जो आम आदमी पर एक बोझ हैं, के परिदृश्य को सुधार दिया है। प्रस्ताव की रूपरेखा में दोहरा जीएसटी है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक संघीय ढांचा होगा। जीएसटी में मूल रूप से तीन प्रकार के कर होंगे; केन्द्रीय, राज्य तथा एकीकृत जीएसटी, जो अंतर-राज्जीय लेन-देन से निपटने में मदद करेंगे। वर्तमान जीएसटी कर-सुधार के अंतर्गत, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूपों, जैसे-हस्तांतरण, बिक्री, वस्तु-विनिमय, विनिमय एवं किराया आदि में एक जीएसटी तथा एक एजीएसटी होगा।
- अनेक केन्द्रीय एवं राज्य करों का एक एकल कर में सम्मिलन-दोहरे कराधान को कम करने में सहायक होगा और समान राष्ट्रीय बाज़ार की ओर ले जाएगा। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से, वस्तुओं पर समस्त कर के भार में कमी के रूप में लाभ होगा, जो वर्तमान में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अनुमानित है।
- कीमतों में कमी: विनिर्माताओं और व्यापारियों को अपने उत्पादन की लागत के भाग के रूप में करों को शामिल नहीं करना पड़ेगा, जिससे मूल्यों में कमी आएगी।
- निम्नतर अनुपालन एवं प्रक्रियात्मक लागत: अनुपालन के अनुरक्षण के भार में कमी आएगी। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आइजीएसटी के अलग-अलग अभिलेख (रिकॉर्ड) रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
- जीएसटी का सफल कार्यान्वयन विदेशी निवेशकों को भारत की व्यापार को सुगम बनाने की क्षमता के बारे में प्रबल संकेत देगा।
- जीएसटी, उत्पादकों पर कर का बोझ कम करेगा तथा अधिक उत्पादन के जरिए वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। वर्तमान दोहरा कराधान विनिर्माताओं को उनकी इष्टतम क्षमता तक उत्पादन करने से रोकता है और वृद्धि को अवरूद्ध करता है। जीएसटी विनिर्माता को कर-समंजन (टैक्स क्रेडिट) उपलब्ध कराने के ज़रिए इस समस्या का ख्याल रखेगा।
- विभिन्न कर-बाधाओं, जैसे जांच-चौकियों एवं टोल प्लाज़ा के कारण पहुंचाई जा रही नाशवान वस्तुओं का बहुत अपव्यय होता है, यह हानि सुरक्षित भंडारों की उच्च मांगों और साथ ही भंडारण लागतों के माध्यम से प्रमुख लागत में तब्दील हो जाती है। एक एकल कराधान-प्रणाली इस अवरोध को समाप्त कर देगी।
- उत्पादकों पर एक एकल कराधान उपभोक्ता के लिए निम्नतर अंतिम बिक्री मूल्य में परिवर्तित हो जाएगा। अत: आम आदमी पर कम बोझ पड़ेगा। साथ ही, चूंकि उपभोक्ताओं को यह पता होगा कि वे ठीक-ठीक कितना कर चुका रहे हैं और किस आधार पर चुका रहे हैं, यह इस प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाएगा।
- जीएसटी वस्तुओं / सेवाओं की श्रृंखला में पहले ही उत्पादकों द्वारा चुकाए गए करों के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराता है। यह इन उत्पादकों को विभिन्न पंजीकृत विक्रेताओं से कच्चा माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा अधिक से अधिक विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को कराधान के दायरे के भीतर ले आएगा। जीएसटी निर्यातों पर लागू निर्यात शुल्कों को भी समाप्त करता है। लेन-देन की कम लागत के कारण विदेशी बाज़ारों में हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जीएसटी का प्रभाव रियल एस्टेट क्षेत्र

रिटल एस्टेट क्षेत्र में बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से सुदृढ़ आर्थिक गुणात्मक प्रभाव करने वाला क्षेत्र है और जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भागीदारी करता है। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2013-14 में भारत की जीडीपी में रियल एस्टेट क्षेत्र का हिस्सा 7.4 प्रतिशत है। वर्तमान अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था के अंतर्गत, प्रावधानों में अस्पष्टता के साथ-साथ विभिन्न कराधानों के कारण रियल एस्टेट उद्योग विवादों में उलझ गया है।

प्रवर्तमान कानून के अंतर्गत, संपत्ति के निर्माण से लेकर अंतिम ग्राहक तक उसकी बिक्री के लिए, विभिन्न कर शामिल हैं:

सेवा कर
योजित मूल्य-कर
स्टाम्प शुल्क
निर्माण पर भवन-उपकर, आदि

और भी विभिन्न अन्य कर हैं, जो खरीद की लागत में शामिल हैं (जैसे- उत्पाद शुल्क इत्यादि)

अत: वर्तमान व्यवस्था में निर्माणधीन संपत्ति की बिक्री पर विभिन्न कर/शुल्क लगते हैं, जिससे घर खरीदने वालों पर ढेरों कर तथा उच्च कर लागत का बोझ पड़ता है।

प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था कानून का लक्ष्य देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल एवं समरूप बनाना है। जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर लगेगा, जो ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर-कानूनों (कुछ करों के अलावा, जैसे-स्टाम्प शुल्क) को अपने भीतर सम्मिलित कर लेगा और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है। संपत्तियों का हस्तांतरण (निर्मित) जीएसटी के दायरे से बाहर ही रहेगा और केवल लागू स्टाम्प शुल्कों का देनदार होगा।

जीएसटी से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आने की संभावना है, जो लेन-देन पर नजर रखने वाले अधिक दक्ष तरीकों और संशोधित प्रवर्तन एवं अनुपालन के जरिए कर अपवंचन को काफी कम कर देगा। चूंकि जीएसटी एक एकल मूल्य पर लगाया जा सकता है। कर के ऊपर कर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर वैट) लगाए जाने की वर्तमान समस्या समाप्त हो सकती है।

वर्तमान में, विकासक आपूर्तियों पर विभिन्न नॉन-क्रेडिटेबल करों का भुगतान करते हैं। जीएसटी इन विभिन्न करों को एक एकल कर से प्रतिस्थापित कर सकता है; आपूर्तियों पर क्रेडिट भी उपलब्ध होगा, इस प्रकार सभी एस्टेट उत्पादन इससे मुक्त है, तब इनपुट जीएसटी क्रेडिट इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त लागत हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट में रूकावट तथा अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उच्च लागत आएगी।

स्वास्थ्य देख-भाल क्षेत्र

इस उद्योग की प्रमुख चिंताओं में से एक वर्तमान बेतरतीब शुल्क संरचना है, जो घरेलू

विनिर्माताओं को प्रतिकूलत रूप में प्रभावित करती है, निवेश की लागत उत्पादन से अधिक हो जाती है। यह उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करता है। जीएसटी या तो बेतरतीब शुल्क संरचना को समाप्त कर देगा या फिर संचित क्रेडिट को वापस देने की स्वीकृति देगा। यह इस उद्योग के लिए वरदान साबित होगा और इसके वृद्धि-उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है।

आयात शुल्क पर वर्तमान व्यापक कर-संरचना उद्योग के लिए मशीनरी के आयात को खर्चीला बना देती है। जीएसटी से इस लागत में कमी आने की संभावना है। आगे, दवा क्षेत्र में भी जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। यह कर-संरचना को सरलीकृत करके उद्योग की सहायता करेगा, क्योंकि अभी दवा उद्योग में आठ अलग-अलग कर लगते हैं। इन सभी का एक कर में एकत्रीकरण व्यापार को आसान बनाने के साथ ही साथ एक उत्पाद पर लागू विभिन्न करों के व्यापक प्रभाव को घटा देगा।

इसके अलावा, जीएसटी आपूर्ति श्रृंखला के सुप्रवाही बनने के माध्यम से परिचालन क्षमता में परिणत होगा, जो अकेले भारतीय दवा क्षेत्र का आकार 2 प्रतिशत बढ़ा सकती है। चूंकि जीएसटी दवा कंपनियों को उनकी आपूर्ति श्रृंखला को युक्ति संगत बनाने में सहायता करेगा, उन्हें अपने वितरण तंत्र एवं रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा।

इसके अतिरिक्त जीएसटी का कार्यान्वयन कर-समंजन के एक निर्बाध प्रवाह का ध्यान रखेगा, यह संपूर्ण अनुपालन में सुधार के लिए उत्तरदायी है तथा भारत में दवा कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने वाली एक जमीन भी तैयार करेगा।

कंपनियों के लिए एक बड़ा लाभ यह होगा कि केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की समाप्ति के साथ लेन-देन की लागत में कमी आएगी। जीएसटी लागू होने से विनिर्माण लागत घटने की उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है कि उत्पादन या वितरण की लागत में 2 प्रतिशत की भी कमी मुनाफे में 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी कर देगी। यदि जीएसटी की दर वर्तमान कुल कर-दर से कम होती है, तो यह अंतत: स्वास्थ्य देख-भाल एवं दवाओं को और सस्ता करने के जरिए उपभोक्ताओं की सहायता करेगा, जो पहले से ही भारत सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है।

यह क्षेत्र विभिन्न कर-छूटों एवं फायदों का उपभोग करता है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जीएसटी के अंतर्गत ये फायदे जारी रहेंगे या नहीं। स्वास्थ्य-बीमा एवं निदान-केंद्र, जो मुख्यत: सेवा-उन्मुख हैं, कर-दरों के अधीन हो सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए ये सेवाएं मंहगी हो सकती हैं।

बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र

भारत में ज्यादातर बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं 14.5 प्रतिशत की दर पर सेवा कर के अधीन हैं; जबकि जीएसटी के 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। अत: इन सेवाओं के महंगे होने की संभावना है। जीएसटी चीजों को बोझिल बना सकता है। क्योंकि वित्तीय सेवा प्रदाताओं को वर्तमान एकल, केंद्रीकृत पंजीकरण अनुपालन की बजाय कई राज्यों में अनुपालन का अनुसरण करना अपेक्षित हो सकता है।

साथ ही, चूंकि जीएसटी एक लक्ष्य आधारित कर है, कुछ सेवाओं के लक्ष्य निर्धारित करना एक चुनौती हो सकता है (वर्तमान में, सेवाओं के प्रतिपादन के स्थान पर सेवाओं पर कर लगते हैं) इससे बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी) तथा बिजनेस टू कंज्यूमर (बीटूसी) लेन-देन पर राज्य जीएसटी केंद्रीय जीएसटी या अंतर्राज्यीय जीएसटी के निर्धारण में समस्या हो सकती है।

ऋणों पर ब्याज, प्रतिभूतियों में व्यापार, विदेशी मुद्रा एवं खुदरा सेवाओं के भी जीएसटी की परिधि के भीतर आने का अनुमान है। बैंकिंग उद्योग की सिफारिशें यह प्रस्तावित करती है कि ये सेवाएं एवं आय जीएसटी के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। यह अभी भी देखा जाना है कि ये सिफारिशें मंजूर होगी या नहीं।

कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं पर जीएसटी लगाना एक चुनौती हो सकती है और यदि यह सफल रहा तो भारत एक नई लीक बनाएगा जो बाकी दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाएगा।

यात्रा, पर्यटन एव आतिथ्य

भारत के यात्रा, पर्यटन एवं अतिथ्य उद्योग पर केंद्र एवं राज्य दोनों के विभिन्न कर लगते हैं। अनुमान है कि होटलों और भोजनालयों की आपूर्तियों एक एकल कर का विषय होंगी।

वर्तमान में होटलों एवं रिसॉर्टों के नवीकरण या निर्माण से संबंधित इनपुट सेवाओं पर कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। जीएसटी के अंतर्गत इसमें बदलाव की संभावना है। रिआयत शुल्कों में समाहित होने की संभावना हैं, इस प्रकार अनुपालन प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी एवं विभिन्न करों में कमी आएगी। तथापि, यह अस्पष्ट है कि विद्यमान विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न लाभ जीएसटी के अंतर्गत जारी रहेंगे या नहीं। यदि ये लाभ प्रदान किए जाते हैं तो शायद इनपुट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। जिसका परिणाम होगा उच्चतर लागत। कुल मिलाकर जीएसटी करों के बाहुल्य एवं क्रेडिट की कमी को संभवत: समाप्त कर देगा। तथापि, इससे कर की दरें बढ़ भी सकती है।

शिक्षा क्षेत्र

वर्तमान में, शिक्षा विभिन्न कर-छूटों एवं फायदों का उपभोग करता है, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर या तो कर नहीं लगाता या फिर वे नकारात्मक सूची के अंतर्गत आती है। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद भी यह स्थिति बने रहने की उम्मीद है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो इस क्षेत्र को इनपुट एवं सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए शुल्क पर इनपुट क्रेडिट या क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। इससे उद्योग की अंतिम लागत में कमी आने की संभावना है।

आम नागरिकों पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ने वाला है?

जैसे ही जीएसटी अपने अंतिम चरणों में पहुंचता है, यह ऐतिहासिक कानून राष्ट्र के लिए कर-प्रणाली को एक रूप बनाने तथा जीडीपी को 2 प्रतिशत तक बढ़ा देने का भरोसा दिलाता है। अत: जबकि सेवाएं महंगी हो सकती हैं, उपभोक्ताओं, वस्तुओं के लिए यह एक मिला-जुला सौदा है।

आज वस्तुओं पर आम तौर से 12.5 प्रतिशत (उत्पाद शुल्क) जमा 5.15 प्रतिशत की दर से कर योग्य है जो निरापवाद रूप से अंतिम उपभोक्ता को चुकाना होता है। यदि जीएसटी की मानक दर रूप से कम हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि खरीद लागत

घटेगी और लाभ का कुछ हिस्सा इस शृंखला के अंत तक भी पहुंचेगा। इसका स्वाभाविक परिणाम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसमें 55 प्रतिशत वस्तुएं कर से मुक्त हैं, 32 प्रतिशत वस्तुएं काफी कम दर पर और केवल 12 प्रतिशत वस्तुएं मानक-दर पर हैं।

इसका अर्थ है कि गृहस्थी के कुछ जरूरी सामान (कपड़े, किताबें, खाद्य तेल आदि) वस्तुतः छूटों की वजह से लगभग 5.8 प्रतिशत कर का विषय हैं। अगर दर 18 प्रतिशत रहती है, तब इन सामानों का मूल्य बढ़ जाएगा और संपूर्ण ढांचा डांवाडोल हो जाएगा। सेवा उद्योग में प्ररूपी कर आउटपुट 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।

जीएसटी व्यवस्था में बाहर खाना सस्ता हो सकता है क्योंकि अभी आप सेवा कर एवं वैट दोनों का भुगतान करते हैं।

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत, एक एकल कर होगा। चूंकि सेवा करों की दरों का निर्धारण राज्यों से भी अपेक्षित है, आपके फोन के बिल पर कर बढ़ सकते हैं। परिणामस्वरूप एक आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सेवाएं जैसे दूरसंचार, रेल परिवहन, बैंकिंग, हवाई यात्रा आदि खर्चीली हो सकती है, जबकि छोटी कारें उत्पाद आदि सस्ते हो सकते हैं।

मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा होने के नाते टेलीविजन सस्ता मिल सकता है। जीएसटी कम रहने के आसार है। अतः वर्तमान में आप 20,000 रूपये के एलईडी टीवी के लिए लगभग 24.5 प्रतिशत कर के साथ 24,900 रूपये का भुगतान करते हैं। जीएसटी के अंतर्गत, यदि मान लीजिए यह लगभग 18 प्रतिशत है, उसी टी.वी. की कीमत 23,600 रूपये होगी, जिसके चलते उपभोक्ता के लिए कीमत कम हो जाएगी।

ऑनलाइन बैग, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना महंगा हो जाएगा। क्योंकि ई-वाणिज्य उद्योग कर के दायरे में आता है और इसे इसके विक्रेताओं से प्रत्येक खरीद के लिए कर का भुगतान करना होगा। अतः ई-वाणिज्य कंपनियों के मुनाफे के अंतर में कमी और बढ़े हुए कर-अनुपालन दायरे के कारण उनके द्वारा दी जाने वाली छूटों एवं मुफ्त दिए जाने वाले सामानों में कटौती होगी।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीएसटी की वास्तविक सफलता आम भारतीय उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करती है। जीएसटी का सारांश यह है कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिष्कृत दर पर कर लगेगा। एक राष्ट्र, एक कर सकारात्मक अर्थों में निर्णायक सिद्ध होगा और केवल आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जब भी कोई नया कानून लागू होता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव खास तौर से आम आदमी पर पड़ता है। जीएसटी के मामले में भी यही बात लागू होती है, जिसमें वस्तुओं का अंतिम उपभोक्ता आम आदमी ही है, इसके लागू होने के बाद सीधे तौर पर वही प्रभावित होगा। हम आशा करते है कि जीएसटी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा और तेजी से आगे बढ़ने में भारतीय अर्थव्यवस्था की मदद करेगा तथा सहज कर-व्यवस्था के साथ भारत को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार में तब्दील कर देगा। उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था आम आदमी के वित्तीय विकास में सहायक होगी। ❑

GS-NCERT
English हिन्दी माध्यम
with
Ravindra Sir
Target Batch Starts
UPPCS BPSC
MPPSC
Batch Starts
13 Oct., 20 Oct. & 8 Nov.
सभी PCS परीक्षाओं में विगत तीन वर्षों से
90%+ Questions सीधे हमारे Class Notes से
ध्यान रखें : PCS परीक्षाओं के लिए
IAS का कोचिंग संस्थान Join करना
आपके लिए समय और धन दोनों की बर्बादी है.
ये Course उन Aspirants के लिये भी अत्यंत उपयोगी है, जो IAS Exam की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, या GS के हर Topic पर Conceptual Clarity चाहते है।
Ravindra's Institute
Chawla Restaurant Lane,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi
9555772211, 9990962858
www.ravindrasinstitute.com
Gwalior Branch : 9713950771